न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 124/2018
किस्म मुकदमा – रे. वाद
दायर दिनांक – 11.07.2018
निर्णय दिनांक – 28-01-25

अनवान

1. मेघला पिता हीरा जी बागरिया निवासी बागोट, राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद तहसील व जिला राजसमंद।

.....प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0

उपस्थित
अधिवक्ता वादी – श्री गोपाल कृष्ण आचार्य
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बागोट पटवार हल्का सांगठकला, तहसील व जिला राजसमंद के साबिक आराजी नम्बर 361 में से 2 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 50 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, कुल 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि का आवंटन वादी को कर कब्जा सिपूर्द किया था। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर वादी का आवंटन की दिनांक से भी पूर्व से कब्जा चला आ रहा है, जिस पर वादी कब्जा–काश्त कर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है, वादी को आवंटित भूमि के वर्तमान आराजी नम्बर 1869/361 एवं आराजी संख्या 50 बने है। आवंटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया तब से मौके पर वादी काबिज होकर उक्त आवंटनशुदा भूमि को वादी ने काबिलकाश्त बनाने में लाखों रूपये व्यय किये है एवं वादी वर्तमान में उक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त अंकित की गई है, जिससे पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकीयां दी जा रही है। जो कतई न्यायोचित नहीं है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर वादी कानूनन खातेदार कृषक हो गया है, जिससे राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि वादी के नाम पर खातेदारी में दर्ज कराना आवश्यक है। जिससे वादी द्वारा यह स्वत्व घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी को आवंटनशुदा साबिक आराजी नम्बर 361 में से 2 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 50 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, कुल 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें एवं वादग्रस्त भूमि का वादी के नाम राजस्व रिकर्ड में अंकन फरमाया जावे एवं वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी एवं उनके मातहत कर्मचारी किसी प्रकार की रूकावट, बेदखल नहीं करे, इस आशय की निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

वादी का वाद प्रकरण संख्या 150/16 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में दिनांक 14.02.2017 को जवाब प्रतिवादी प्राप्त हुआ। दिनांक 19.02.2018 को वादी एवं वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 खारिज किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 303/18 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 दिनांक 28.05.20218 को स्वीकार किया जाकर वाद प्रकरण संख्या 150/16 को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश होने से उक्त प्रकरण को पुनः प्रकरण संख्या 124/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 11.07.2018 से सुनवाई प्रारम्भ की गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

दिनांक 20.12.2019 को प्रकरण में निम्नानुसार तनकी कायम की गई एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित वादग्रस्त भूमियां वादी को आवंटित होकर आवंटन दिनांक से पूर्व से वादी का कब्जा होकर वादी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है अतः वादी आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है .....वादी
2. आया वादग्रस्त भूमि वादी की आवंटित भूमि होने से प्रतिवादी वादी के उपयोग उपभोग में रूकावट व बेदखल नहीं करें इस बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है .....वादी
3. आया भूमि आवंटन पश्चात पुनः नियमानुसार जरिये नामान्तरकरण बिलानाम दर्ज की गई है अतः वादी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से होकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं है एवं भूमि बिलानाम दर्ज होने से निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है .....प्रतिवादी

वादी की ओर से साक्ष्य में दिनांक 28.02.2020 को शपथपत्र प्रस्तुत किया गया एवं वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित फोटोप्रतियों को प्रदर्शित करवाया गया। जिसमें आवटंन पत्र (पट्टा) प्रदर्श 1, आदेश प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, आवंटन हेतु प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श 4, नामान्तरण प्रदर्श 5 है।

दिनांक 17.05.2022 को वादी अधिवक्ता द्वारा वादी की पत्नी सोहनी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का वादी के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मय संशोधित शिर्षक के प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 27.05.2022 को सुना जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया गया एवं प्रकरण में वादी मेघला के बजाय उसकी पत्नी सोहनी को वादीया के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

दिनांक 08.07.2022 को वादिया सोहनी देवी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 22.03.2024 को शहादत वादी/जिरह में गवाह सोहनी देवी के बयान दर्ज किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य कोई गवाह पेश नहीं करना जाहिर करने से प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी/बहस हेतु नियत किया गया।

दिनांक 06.09.2024 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा बतौर साक्ष्य राजस्व रिकोर्ड की प्रतिया पेश की गई एवं प्रकरण में बहस प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 01.10.2024 को नियत किया गया किन्तु पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से आदेश सुनाया नहीं जा सका। प्रकरण में पुनः बहस सुनी जाकर प्रकरण वास्ते आदेश नियत किया गया।

आज दिनांक को उभय पक्ष की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:-

1. तनकी संख्या 1 व 2 को साबित कराने का दायित्व वादी पर था जिसके लिए वादी की ओर से प्रकरण में आवटंन पत्र (पट्टा), आदेश, नक्शा ट्रेस, आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, नामान्तरण इत्यादि दस्तावेज प्रदर्श 1 से 5 प्रस्तुत किये गए है एवं साक्ष्य में पूर्व वादी एवं वर्तमान वादिया द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन होना तो साबित होता है किन्तु वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित नहीं होता है। वादी यदि वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तो उक्त कब्जा काश्त को गिरदावरी दस्तावेज से अथवा अन्य गवाहो के बयानात से प्रमाणित कराना चाहिये था किन्तु वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार वादी द्वारा तनकी संख्या 1 को आंशिक साबित कराया गया है। तनकी संख्या 1 वादी के पूर्णतः साबित नहीं होती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

2. इसी प्रकार तनकी संख्या 2 अनुसार वादी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन होना तो वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 से 5 के आधार पर साबित होता है किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन आज दिनांक तक कायम रहने के संबंध में अथवा उक्त वादग्रस्त आवंटित भूमि बगैर किसी वैधानिक आदेश अथवा प्रक्रिया के पुनः बिलानाम दर्ज हो जाने के संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि को वादी द्वारा स्वयं ही अन्तर्गत धारा 55 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सरकार के पक्ष में समर्पित किया गया है। ऐसी स्थिति जबकि वादी द्वारा आवंटित भूमि पूनः राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दि गई है तो वर्तमान में भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने से वादी प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

3. तनकी संख्या 3 को साबित कराने हेतु प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज ग्राम बागोटा के नामान्तरण संख्या 92 व 209 की प्रति एवं तहसील आदेश क्र/राजस्व/83/7 दिनांक 9.01.84 की प्रति तथा वर्तमान राजस्व ग्राम बागोटा की जमाबन्दी संवत् 2077–2077 की प्रति प्रस्तुत की गई। नामान्तरण संख्या 92 से वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटित होकर वादी के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज होना एवं तहसील आदेश क्र/राजस्व/83/7 दिनांक 9.01.84 एवं नामान्तरण संख्या 209 से वादी द्वारा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किया जाना एवं नियमानुसार जरिये नामान्तरकरण पुनः बिलानाम दर्ज होना साबित होता है। जो ग्राम बागोटा की जमाबन्दी संवत् 2077–2077 की प्रति अनुसार वर्मान में भूमि बिलानाम दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आवंटित भूमि नियमानुसार पुनः बिलानाम दर्ज रिकोर्ड होने से वादी का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक हक अधिकार निहित नहीं रहा है जिससे वादी का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है अतः उक्त भूमि में वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं है, ना हि प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 3 प्रतिवादी द्वारा पूर्णतः साबित कराई जाने से तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

इस प्रकार तनकीवार विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि वादी को आंवटित उक्त वादग्रस्त भूमि नियमानुसार पुनः बिलानाम दर्ज रिकोर्ड हो जाने से वादी का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक हक अधिकार अब निहित नहीं रहा है जिससे वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं है एवं वर्तमान में भूमि बिलानाम दर्ज होने से किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं रहा है। अतः वादी का वाद साबित नहीं हाने से खारिज योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा खाारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 28.01.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner